

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा एवं कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत 47.552 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH130 एवं NH130A (बिलासपुर से उरगा सड़क निर्माण) का निरीक्षण दिनांक 17-08-2020 को किया गया है।

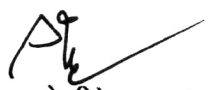
15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा एवं कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत 47.552 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH130 एवं NH130A (बिलासपुर से उरगा सड़क निर्माण) का निरीक्षण दिनांक 17-08-2020 को किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH130 एवं NH130A (बिलासपुर से उरगा सड़क निर्माण) में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन्यप्राणियों का लगातार आवागमन होता है अतः वन्यप्राणियों एवं पक्षियों के प्रबंधन एवं संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के व्यय पर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की जाती है।


(अनिल सोनी) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर